न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 736/2023

अनवान : –

1. सुखदास पुत्र चन्द्रदास जाति स्वामी साकिन थिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. आसदास पुत्र चन्द्रदास जाति स्वामी साकिन थिराना तहसील नोहर हाल भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
2. सोहनदास पुत्र चन्द्रदास जाति स्वामी साकिन थिराना तहसील नोहर हाल भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
3. गोपालदास पुत्र चन्द्रदास जाति स्वामी साकिन थिराना तहसील नोहर हाल भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
4. गीता पुत्री चन्द्रदास जाति स्वामी साकिन थिराना तहसील नोहर हाल भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
5. कलावती पुत्री चन्द्रदास जाति स्वामी साकिन थिराना तहसील नोहर हाल भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
6. भंवरलाल पुत्र तुलछीदास जाति स्वामी साकिन बाघेरा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
7. रामकुमार पुत्र तुलछीदास जाति स्वामी साकिन बाघेरा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
8. शिवभगवान पुत्र तुलछीदास जाति स्वामी साकिन बाघेरा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
9. शंकरलाल पुत्र तुलछीदास जाति स्वामी साकिन बाघेरा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
10. सिलोचना पुत्री तुलछीराम जाति स्वामी साकिन बाघेरा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हवासिह पूनिया अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 07/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 17/216 की कुल 13.3800 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व व रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 18/65 की कुल 11.6980 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि नानू पत्नी पत्नी चन्द्रदास के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नानू पत्नी चन्द्रदास के नाम दर्ज है। नानू पत्नी चन्द्रदास का देहान्त हो चुका है तथा नानू पत्नी चन्द्रदास की एक पुत्री गायत्री का भी देहान्त हो चुका है। नानू पत्नी चन्द्रदास [illegible] खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 है जो की अपने [illegible] अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या [illegible] ने विवादित भूमि [illegible] जो भी हक हिस्सा है भाईयो के पक्ष में तर्क कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 ने भी उक्त वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा अपने मामा के पक्ष में तर्क कर दिया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि में 1/ 10 हिस्सा भूमि का वादी, 1/20 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2, 1/20 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व 5 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या संख्या 1 ता 3 व 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र नानु पत्नी चन्द्रदास, सदस्य प्रमाण पत्र बाबत वारिसान आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नानू पत्नी चन्द्रदास के नाम दर्ज है। नानू पत्नी चन्द्रदास का देहान्त हो चुका है तथा नानू पत्नी चन्द्रदास की एक पुत्री गायत्री का भी देहान्त हो चुका है। नानू पत्नी चन्द्रदास के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 5 ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है भाईयो के पक्ष में तर्क कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 ने भी उक्त वाद भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा अपने मामा के पक्ष में तर्क कर दिया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि में 1/ 10 हिस्सा भूमि का वादी, 1/20 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2, 1/20 हिस्सा भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 17/216 की कुल 13.3800 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व व रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 18/65 की कुल 11.6980 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि नानू पत्नी पत्नी चन्द्रदास के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नानू पत्नी चन्द्रदास के नाम दर्ज है। नानू पत्नी चन्द्रदास का देहान्त हो चुका है तथा नानू पत्नी चन्द्रदास की एक पुत्री गायत्री का भी देहान्त हो चुका है। नानू पत्नी चन्द्रदास के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 5 ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है भाईयो के पक्ष में तर्क कर दिया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 10 ने भी उक्त वाद भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा अपने मामा के पक्ष में तर्क कर दिया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जो भी हक हिस्सा है वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि में 1/ 10 हिस्सा भूमि का वादी, 1/20 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2, 1/20 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 5 के द्वारा स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 5 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 17/216 की कुल 13.3800 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व व रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 18/65 की कुल 11.6980 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि नानू पत्नी पत्नी चन्द्रदास के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में मृतक नानू पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Gahlwal
Date: 2024.06.19 18:49:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

चन्द्रदास का नाम कलमजन किया जाकर 1/10 हिस्सा भूमि का वादी को, 1/20 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को तथा 1/20 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:17 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 736/2023

अनवान : –

1. सुखदास पुत्र चन्द्रदास जाति स्वामी साकिन थिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. आसदास पुत्र चन्द्रदास जाति स्वांमी साकिन थिराना तहसील नोहर हाल भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
2. सोहनदास पुत्र चन्द्रदास जाति स्वामी साकिन थिराना तहसील नोहर हाल भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
3. गोपालदास पुत्र चन्द्रदास जाति स्वामी साकिन थिराना तहसील नोहर हाल भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
4. गीता पुत्री चन्द्रदास जाति स्वामी साकिन थिराना तहसील नोहर हाल भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
5. कलावती पुत्री चन्द्रदास जाति स्वामी साकिन थिराना तहसील नोहर हाल भोजासर बड़ा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
6. भंवरलाल पुत्र तुलछीदास जाति स्वामी साकिन बाघेरा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
7. रामकुमार पुत्र तुलछीदास जाति स्वामी साकिन बाघेरा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
8. शिवभगवान पुत्र तुलछीदास जाति स्वामी साकिन बाघेरा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
9. शंकरलाल पुत्र तुलछीदास जाति स्वामी साकिन बाघेरा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
10. सिलोचना पुत्री तुलछीराम जाति स्वामी साकिन बाघेरा तहसील भानीपुरा जिला चुरू।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 736 सन 2023 निर्णय दिनांक 07/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हवासिंह पुनिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 17/216 की कुल 13.3800 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व व रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 18/65 की कुल 11.6980 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि नानू पत्नी पत्नी चन्द्रदास के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में मृतक नानू पत्नी चन्द्रदास का नाम कलमजन किया जाकर 1/10 हिस्सा भूमि का वादी को, 1/20 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को तथा 1/20 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:49:17 IST
Reason: SelfAttested